[2018] 10 एस. सी. आर. 11

सिद्देश्वर डुकरे के अनंत पुत्र

वी.

झमनाप्पा लैम्ज़ेन और एक और का प्रताप पुत्र

(2018 की सिविल अपील संख्या 8420)

21 अगस्त, 2018

[आर. एफ. नरीमन और इंदु मल्होत्रा, जे. जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:

मोटर दुर्घटना-75 प्रतिशत तक स्थायी अक्षमता की ओर ले जाना-मुआवजे के लिए दावा न्यायाधिकरण ने मंजूर किया

7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ एकमुश्त मुआवजे के रूप में रु. 7,00,000/- पहली अपील में, उच्च न्यायालय ने कहा कि

क्षतिपूर्ति गुणक विधि का उपयोग किया जाना चाहिए और इस प्रकार

प्रति वर्ष 9 प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 65,500/- कर दिया गया। अधिनियम के तहत मुआवजे का उद्देश्य पीड़ित को दुर्घटना से पहले की स्थिति में पूरी तरह से और पर्याप्त रूप से बहाल करना है-चोटों और अक्षमताओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के मामलों में, व्यक्ति को न केवल उसकी शारीरिक चोट के लिए, बल्कि गैर-आर्थिक नुकसान के लिए भी मुआवजा दिया जाना चाहिए-मुआवजे की राशि को आवेदन की तारीख से आवेदन की तारीख तक 9 प्रतिशत ब्याज के साथ प्रति वर्ष 29,000/- तक बढ़ा दिया जाता है।

भुगतान करें।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का उद्देश्य पीड़ितों को पूरी तरह से और पर्याप्त रूप से बहाल करना है।

दुर्घटना से पहले की स्थिति। मोटर दुर्घटनाओं से चोटों और अक्षमताओं के मामलों में, एक व्यक्ति को न केवल उसकी शारीरिक चोट के लिए, बल्कि चोट के कारण हुए गैर-आर्थिक नुकसान के लिए भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। दावेदार पूर्ण जीवन जीने में अपनी असमर्थता के लिए क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है, और उन चीजों और सुविधाओं का आनंद लेता है जिनका वह आनंद लेता, लेकिन चोटों के लिए। [पैरा 5 और 6] [17-जी-एच]

यादव कुमार बनाम। प्रभागीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड (2010) 10 एस. सी. सी. 341:

[2010] 10 एस. सी. आर. 746-संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. अपीलार्थी गवाह संख्या 3 द्वारा नियोजित था और मासिक वेतन पर 01.08.2008 से अपनी निजी कार चला रहा था।

रु. 8,500 / - . उन्होंने इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया। उच्च न्यायालय ने गलती से निष्कर्ष निकाला कि यह उचित और उचित होगा यदि अपीलार्थी की मासिक आय रुपये मानी जाए। 5,000 / इस आधार पर कि रुपये का वेतन। 8500 / - क्योंकि ड्राइवर ऊपर की ओर था। [पैरा 4.3] [17-डी-ई] 3. अपीलार्थी की आय रु। 8,500 / - प्रति माह। दुर्घटना के समय अपीलार्थी 29 वर्ष के थे। द मल्टिप्लायर

17 हो जाएगा। जहाँ दावेदार को चोटों के परिणामस्वरूप स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ता है, वहाँ भविष्य की कमाई के नुकसान के लिए मुआवजे का आकलन उसकी कमाई क्षमता पर स्थायी विकलांगता के प्रभाव और प्रभाव पर निर्भर करेगा। घायल की अर्जित करने की क्षमता पर स्थायी अक्षमता के प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए और आय के प्रतिशत के संदर्भ में अर्जित करने की क्षमता के नुकसान का आकलन करने के बाद, इसे धन के संदर्भ में मापा जाना चाहिए, ताकि भविष्य में दावेदार को होने वाली आय के नुकसान पर पहुंचा जा सके। भविष्य की आय के नुकसान की गणना की जाती है -

रु. 13,00,500 / - . [पैरा 7.1 और 7.2] [18-डी, ई-जी; 19-ए]

सरला वर्मा और ओआरएस। वी. दिल्ली परिवहन निगम और ओआरएस। (2009) 6 एससीसी 121: [2009] 5 एससीआर 1098;

राज कुमार बनाम। अजय कुमार (2011) 1 एससीसी 343:

[2010] 13 एस. सी. आर. 179 पर भरोसा किया गया।

4. अपीलार्थी ने आय के वास्तविक नुकसान के लिए मुआवजे का दावा किया है। 1,50,000 / - . अपीलार्थी का यह दावा सफल नहीं हो सकता है। भविष्य की आय के नुकसान का अनुदान किसी भी राशि की भरपाई करता है।

समय की और अवधि जहां आय का नुकसान हुआ था। आय का वास्तविक नुकसान केवल उस महीने के लिए दिया जा सकता है जिसमें दुर्घटना हुई थी। इसलिए, एक महीने का वेतन रु। 8,500 / - अक्टूबर महीने के लिए सम्मानित किया जाएगा। [पैरा 7.3] [19-बी]

5. अपीलार्थी ने रुपये में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा किया है। 2,50,000 / - . न्यायाधिकरण ने अभिलिखित किया कि दावेदार ने कुल रु। 5,50,000 / - निर्णय की तारीख तक दवाओं, अस्पताल के शुल्क, डॉक्टर की फीस, ऑपरेशन शुल्क, यात्रा खर्च और विशेष आहार के लिए खर्च और रु। 2,00,000 / - वास्तविक व्यय के आधार पर मुआवजे के रूप में। चूँकि अपीलार्थी ने खर्चों का दावा किया है, इसलिए सिद्देश्वर डुकरे के अनंत पुत्र बनाम।

झमनाप्पा लैमज़ेन और ए. एन. आर. के प्रताप पुत्र।

विशेष आहार और उपस्थिति शुल्क के लिए इस न्यायालय के समक्ष अलग से, इसलिए रुपये का पुरस्कार देना उचित है। 2,50,000 / - जैसा कि आवर्ती चिकित्सा खर्चों के कारण दावा किया गया है। [पैरा. 4]

[19 - सी-ई]

6. अपीलार्थी ने रुपये का दावा किया है। 90,000 उपस्थिति और परिवहन शुल्क के लिए। उच्च न्यायालय ने एक करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। 70,000 / - .

चोट को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी ने स्थायी रूप से आजीविका का स्रोत खो दिया है क्योंकि उसके शरीर के दाहिने हिस्से में स्थायी हानि के साथ उसकी आवाजाही गंभीर रूप से प्रतिबंधित हो गई है। चूंकि वह जीवन भर के लिए स्थायी रूप से विकलांग है, इसलिए उपस्थिति और परिवहन शुल्क के लिए रु। 90,000 / - जैसा दावा किया गया है, दिया जाता है। [पैरा 7.5] [19-ई-एफ]

7. अपीलार्थी ने विशेष आहार और पोषण के लिए रु. 1,00,000/- का दावा किया। उच्च न्यायालय ने एक करोड़ रुपये का फैसला सुनाया। 20,000 / - इस पर

खाता। मुद्रास्फीति के रुझानों और जीवन यापन की बढ़ती लागतों को देखते हुए यह राशि इस न्यायालय के लिए बहुत कम प्रतीत होती है। इसलिए, विशेष आहार और पोषण के लिए मुआवजे को बढ़ाया जाना चाहिए रु. 80,000 / - . [पैरा 7.6] [19-जी; 20-बी]

पुट्टम्मा और ओआरएस। वी. के. एल. नारायण रेड्डी और अन्र। (2013) 15 एससीसी 45: [2013] 16 एस. सी. आर. 831-निर्भर।

8. भावी जीवन में सुविधाओं के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति है

रुपये से बढ़ाया गया। 50,000 / - रु. तक। 1,00,000 / - . [पैरा 7.7] [20-सी]

9. 75 प्रतिशत की सीमा तक स्थायी विकलांगता और परिवार के एकमात्र कमाने वाले की आजीविका के नुकसान के मामले में, यह नहीं है

केवल पीड़ित, बल्कि उसके परिजन भी जो आघात का सामना करते हैं। अपीलार्थी ने शल्य चिकित्सा के माध्यम से अपने शरीर में इस्पात की छड़ें और कृत्रिम सामग्री डाली है। उनकी आय अर्जित करने की क्षमता 100% कम हो गई है। ऐसी परिस्थितियों में, यह उचित है

अपीलार्थी को रु। 2,00,000 / - उनके और उनके परिवार के जीवन भर के दर्द और पीड़ा के मुआवजे के रूप में। [पैरा 7.8] [20-डी]

10. अपीलार्थी कुल भुगतान का हकदार है।

रुपये का मुआवजा। 20,29,000 / - (न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन की तारीख से दोनों प्रत्यर्थियों से भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ केवल बीस लाख उनतीस हजार रुपये), जो इसके लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी हैं। [पैरा 8] [21-ए-बी] [2018] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[2010] 10 एससीआर 746

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

उस पर भरोसा करें

[2009] 5 एससीआर 1098

पै

रा 7.1

[2010] 13 एस. सी. आर. 17

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7.2

[2013] 16 एससीआर 831

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7.6

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 8420

2018 से।

उच्च न्यायालय के 25.01.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 की प्रथम अपील No.1353 में बॉम्बे की न्यायपालिका, औरंगाबाद की न्यायपीठ।

देवव्रत, आदित्य के. दुबे, रिज़वान, शेखर प्रसाद गुप्ता,

जी. बालाजी, सुश्री पूजा, रवि एस. झा, लक्ष्मी रमन सिंह, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

इंदु मल्होत्रा, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।
2. विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील इसके खिलाफ दायर की गई है।

मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक दावे में बॉम्बे (औरंगाबाद पीठ) में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 2015 के एफ. ए. संख्या 1353 में अंतिम निर्णय और आदेश।

3. संक्षेप में बताई गई वर्तमान याचिका को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

निम्नलिखित हैः

3.1 . इसमें अपीलकर्ता दावेदार है, जिसकी आयु 29 वर्ष थी।

दुर्घटना का समय, और एक चालक के रूप में कार्यरत, एक ड्राइंग

मासिक वेतन रु। 8,500 .

16.10.2009 पर, लगभग 9 बजेः 30 ए. एम. अपीलार्थी और उनकी पत्नी

पुणे से तांबेवासी की ओर मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे थे,

गाड़ी सड़क के गलत तरफ से आ रही थी, और एक राज्य परिवहन बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, जब यह टकरा गई

अपीलार्थी का मोटर चक्र।

अपीलार्थी सड़क पर गिर गया और उसे कई चोटें आईं

रीज़। अपीलार्थी की दाहिनी जांघ, दाहिना टखने और सिद्धेश्वर ड्यूकरे के पुत्र को फ्रैक्चर हो गया।

एन. एन. ए. पी. ए. लामज़ान और ए. एन. आर. के प्रताप पुत्र। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

दाहिना हाथ। उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया था।

इसके परिणामस्वरूप 75 प्रतिशत तक स्थायी विकलांगता हुई जिसके लिए एम. ए. सी. टी. के समक्ष एक विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। अपीलार्थी ने एक चोट प्रमाण पत्र भी दाखिल किया जो उसे लगी विभिन्न चोटों को दर्ज करता है।

पत्नी को लगी चोटों के संबंध में, एम. ए. सी. टी. के समक्ष एक अलग दावा याचिका दायर की गई थी। वर्तमान में

अपील केवल वृद्धि के दावे से संबंधित है

अपीलार्थी द्वारा किया गया क्षतिपूर्ति।

अपीलार्थी ने एल. डी. के समक्ष 2014 की M.A.C.P. संख्या 33 वाली दावा याचिका दायर की। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,

भुम ने विभिन्न शीर्षों के तहत मुआवजे की मांग की रु. की राशि। 20,00,000 प्रत्यर्थी संख्या 1-मारुति कार के मालिक और प्रत्यर्थी संख्या 2-बीमा कंपनी के खिलाफ।

. एम. ए. सी. टी. ने आदेश डी. टी. 07.02.2015 आंशिक रूप से दावा याचिका की अनुमति दी और रु। 7,00,000 7 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ एक महीने के भीतर दोनों उत्तरदाताओं द्वारा संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से देय एकमुश्त मुआवजे के रूप में

पी. ए. दावे की तारीख से मुआवजे की राशि पर

प्राप्ति की तारीख तक याचिका।

एम. ए. सी. टी. ने गलती से एक प्रस्थान किया

गुणक विधि, और मुआवजे के रूप में एकमुश्त राशि प्रदान की। न्यायाधिकरण ने आय की वास्तविक हानि, भविष्य में आय की हानि, चिकित्सा व्यय और मुआवजे जैसे विभिन्न शीर्षों के तहत मुआवजा नहीं दिया।

स्थायी अक्षमता बनी रही।

दिए गए मुआवजे की मात्रा से असंतुष्ट होना

एम. ए. सी. टी. द्वारा, और पुरस्कार देने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि

क्षतिपूर्ति, वर्तमान अपीलार्थी ने यू/एस के तहत प्रथम अपील दायर की। 173 मुआवजे में वृद्धि के लिए एम. वी. अधिनियम,

उच्च न्यायालय के समक्ष। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 25.01.2017 के निर्णय के माध्यम से [2018] 10 एस. सी. आर. को बढ़ाकर आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी।

मुआवजे के रूप में रु। 14,65,500 9 प्रतिशत ब्याज पी. ए. से

आवेदन की तिथि, प्राप्ति तक। उच्च न्यायालय ने कहा कि कि एकमुश्त क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जा सकती है, और

गुणक विधि का पालन किया जाना चाहिए। मुआवजे की

उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया पुरस्कार इस प्रकार थाः

दावा

दी गई राशि

(आईएनआर में)

10,20,000

आई. भविष्य की आय का नुकसान

(60,000 x 17) ii. वास्तविक आय का नुकसान

5,500

iii. दर्द और पीड़ाएँ

1,00,000

iv. चिकित्सकीय खर्च

2,00,000

वी. उपस्थिति और परिवहन शुल्क

70,000

vi. विशेष आहार और पोषण

20,000

vii. भावी जीवन में सुविधाओं का नुकसान

50,000

14,65,500

कुल

3.6 . अपीलार्थी ने विशेष अनुमति याचिका द्वारा वर्तमान अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है।

4. हमने दोनों पक्षों के वकीलों को सुना है और सावधानीपूर्वक विचार किया है।

अदालत के समक्ष दायर की गई तार।

4.1 . नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने साक्ष्य से पाया है कि प्रतिवादी अपनी कार जल्दबाजी और लापरवाही से चला रहा था। 4.2 . अपीलार्थी, जो दुर्घटना की तारीख को 29 वर्ष का था, को गंभीर चोटें आई हैं जो 75 प्रतिशत तक स्थायी विकलांगता का कारण बनी हैं। अपीलार्थी ने अपने हड्डी रोग चिकित्सक को पेश किया जिसने पुष्टि की कि अपीलार्थी को 25.10.2010 से 09.11.2010 तक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

और फिर से 25.11.2010 से 05.12.2010 तक।

अपीलार्थी के पास जांट सन ऑफ सिद्धेश्वर डुकरे v था। हमनाप्पा लैमज़ेन और ए. एन. आर. के प्रताप पुत्र। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

कई चोटें आईं जिनके परिणामस्वरूप स्थायी रूप से

75 प्रतिशत की सीमा तक अक्षमता जिसका प्रमाण है उनके डॉक्टर द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र। स्थायी अक्षमता के कारण, अपीलार्थी किसी भी मोटर वाहन को चलाने में सक्षम नहीं है।

4.3 . दुर्घटना के परिणामस्वरूप, अपीलार्थी ने अपना अधिकार खो दिया

आगे अपदस्थ किया कि अपीलार्थी उसके द्वारा नियोजित था, और मासिक आधार पर 01.08.2008 से अपनी निजी कार चला रहा था। रुपये का वेतन। 8,500 . उन्होंने इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया।

उच्च न्यायालय ने गलती से निष्कर्ष निकाला कि यह उचित और उचित होगा यदि अपीलार्थी की मासिक आय रुपये मानी जाए। 5,000 इस आधार पर कि वेतन

रु. 8500 क्योंकि ड्राइवर ऊपर की ओर था।

हम अपीलार्थी की आय को स्वीकार नहीं करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क से सहमत नहीं हैं। द. अपीलार्थी की आय रुपये के रूप में ली जानी चाहिए। 8500 प्रति माह।

4.4. अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि भले ही उनकी स्थायी अक्षमता 75 प्रतिशत है, लेकिन उनकी आय अर्जित करने की क्षमता 100% से कम हो गई है, क्योंकि वह स्थानांतरित करने या कोई काम करने में सक्षम नहीं है।

5. मोटर दुर्घटनाओं के मामलों में जो चोटों का कारण बनते हैं और

हालाँकि, यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि एक व्यक्ति को न केवल उसकी शारीरिक चोट के लिए, बल्कि चोट के कारण हुए गैर-आर्थिक नुकसान के लिए भी दंडित किया जाना चाहिए। दावेदार पूर्ण जीवन जीने में असमर्थता के लिए दंडित होने का हकदार है, और उन चीजों का आनंद लेता है और

उपहार जिनका उन्होंने आनंद लिया होगा, लेकिन चोटों के लिए।

6. मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का उद्देश्य है -

पीड़ित को डेंट से पहले की स्थिति में ठीक से और पर्याप्त रूप से बहाल करें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यादव कुमार बनाम में यह न्यायालय। संभागीय प्रबंधक, राष्ट्रीय एंसे कंपनी लिमिटेड ने 'न्यायसंगत मुआवजे' के बारे में बताया वींग शब्दः

" यह बिना कहे चला जाता है कि निर्धारण के मामलों में क्षतिपूर्ति न्यायाधिकरण और न्यायालय दोनों वैधानिक रूप से करते हैं।

'न्यायसंगत क्षतिपूर्ति' तय करने की जिम्मेदारी के साथ आरोपित। यह स्पष्ट रूप से सच है कि न्यायसंगत मुआवजे के निर्धारण को एक वरदान के बराबर नहीं माना जा सकता है। साथ ही 'न्यायसंगत मुआवजे' की अवधारणा स्पष्ट रूप से न्यायाधिकरणों और न्यायालयों की ओर से निष्पक्ष और न्यायसंगत सिद्धांतों और एक उचित दृष्टिकोण के अनुप्रयोग का सुझाव देती है। न्यायाधिकरण और न्यायालय की ओर से यह तर्कसंगतता एक बड़े परिधीय क्षेत्र में होनी चाहिए।

अपीलार्थी निम्नलिखित रूप में मुआवजे का हकदार होगाः

7.1 . अपीलार्थी की आय रु। 8,500 प्रति माह। द.

दुर्घटना के समय अपीलार्थी 29 वर्ष के थे। सरला वर्मा और ओआरएस में गुणक निर्धारित किया गया है। वी. दिल्ली परिवहन निगम और Ors.2 17 होंगे।

7.2 . भविष्य की आय के नुकसान की गणना राज कुमार बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में की जानी चाहिए। अजय कुमार 3 जिसमें न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां दावेदार स्थायी रूप से पीड़ित है

चोटों के परिणामस्वरूप अक्षमता, का मूल्यांकन

भविष्य की कमाई के नुकसान के लिए मुआवजा उसकी कमाई की क्षमता पर स्थायी विकलांगता के प्रभाव और प्रभाव पर निर्भर करेगा। घायल की कमाई करने की क्षमता पर स्थायी अक्षमता के प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए; और आय के प्रतिशत के संदर्भ में कमाई क्षमता के नुकसान का आकलन करने के बाद, इसे धन के संदर्भ में मापा जाना चाहिए, ताकि भविष्य में आय के नुकसान पर पहुंचा जा सके।

दावेदार। अतः दिए जाने वाले मुआवजे की गणना इस प्रकार की जाती हैः

आई. अपीलार्थी की न्यूनतम वार्षिक आय = 8,500 x 12 =

रु. 1,02,000

ii. उसकी अक्षमता के स्तर पर भविष्य की आय का नुकसान (यानी 75 प्रतिशत) = 75 प्रतिशत 1,02,000 = रु। 76,500 पी. ए.

(घ) 10 एस. सी. सी. 341 9) 6 एस. सी. सी. 121-) 1 एस. सी. सी. 343 पुत्र सिद्धेश्वर डुकरे बनाम।

एन. एन. ए. पी. ए. लामज़ान और ए. एन. आर. के प्रताप पुत्र। [इंदु मल्होत्रा, जे।]

iii. लागू गुणक (29 वर्ष) = 17 iv. भविष्य की आय का नुकसान = 76,500 x 17 = रु। 13,00,500

अपीलार्थी ने आय के वास्तविक नुकसान के लिए मुआवजे का दावा किया है। 1,50,000 . अपीलार्थी का यह दावा सफल नहीं हो सकता है। भविष्य की आय के नुकसान का अनुदान किसी भी आगे की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति करता है जहां आय खो गई थी। आय का वास्तविक नुकसान केवल उस महीने के लिए दिया जा सकता है जिसमें दुर्घटना हुई थी। इसलिए, एक महीने का वेतन है

रु. 8,500 अक्टूबर महीने के लिए सम्मानित किया जाएगा।

. अपीलार्थी ने चिकित्सा की प्रतिपूर्ति का दावा किया है

रुपये में खर्च। 2,50,000 .

एम. ए. सी. टी. ने फैसले के पैरा 4 में दर्ज किया कि दावेदार ने कुल रु। 5,50,000 निर्णय की तारीख तक दवाओं, अस्पताल के शुल्क, डॉक्टर के शुल्क, ऑपरेशन शुल्क, यात्रा खर्च और विशेष आहार के लिए खर्च और रु। 2,00,000 के रूप में

वास्तविक व्यय के आधार पर मुआवजा।

चूँकि अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष आहार और उपस्थिति शुल्क के लिए अलग से खर्च का दावा किया है, इसलिए हमें रुपये का पुरस्कार देना उचित लगता है। 2,50,000 जैसा कि उसने दावा किया था

आवर्ती चिकित्सा खर्चों का लेखा।

. अपीलार्थी ने रुपये का दावा किया है। 90,000 उपस्थिति और परिवहन शुल्क के लिए। उच्च न्यायालय ने एक करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। 70,000 .

अपीलार्थी को लगी चोट को ध्यान में रखते हुए,

स्थायी रूप से अपनी आजीविका का स्रोत खो दिया है

उसके शरीर के दाहिने हिस्से में हानि। चूंकि वह उपस्थिति और परिवहन की दिशा में जीवन भर के लिए स्थायी रूप से अक्षम है हम अपीलार्थी को रुपये का शुल्क देते हैं। 90,000 जैसा कि दावा किया गया है।

. अपीलार्थी ने रुपये का दावा किया। 1,00,000 विशेष आहार और पोषण के लिए। उच्च न्यायालय ने एक करोड़ रुपये का फैसला सुनाया। 20,000 इस खाते में। मुद्रास्फीति के रुझानों और जीवन यापन की बढ़ती लागतों को देखते हुए यह राशि इस न्यायालय के लिए बहुत कम प्रतीत होती है।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुट्टम्मा और ओआरएस में। वी. के. एल. नारायण रेड्डी और अन्न। यह

टी ने कहा है:

" ..... हम मानते हैं कि दूसरी अनुसूची जैसा कि 1994 में अधिनियमित की गई थी

जीवन यापन की वर्तमान लागत और वर्तमान दर सहित परिदृश्य मुद्रास्फीति और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि "।

उक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, विशेष आहार के लिए क्षतिपूर्ति और

आयोन को बढ़ाकर रु। किया जाए। 80,000 .

7.7 . भावी जीवन में सुविधाओं के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति है

रुपये से बढ़ाया गया। 50,000 रु. तक। 1,00,000 .

7.8 . अपीलार्थी ने आगे दर्द के लिए मुआवजे का दावा किया है और

रु. में पीड़ित। 2,00,000 . उच्च न्यायालय ने दिया फैसला

अपीलार्थी रु। 1,00,000 इस हिसाब से। स्थायी होने पर

परिवार का एकमात्र कमाने वाला, यह न केवल पीड़ित है, बल्कि उसके परिजन भी जो आघात का सामना करते हैं। अपीलार्थी ने

उसके शरीर में स्टील की छड़ें और कृत्रिम सामग्री डाली गई थी शल्य चिकित्सा के माध्यम से। उनकी आय अर्जित करने की क्षमता रही है

100% द्वारा घटाया गया।

ऐसी परिस्थितियों में, हम पुरस्कार देना उचित समझते हैं

एक लाख रु. 2,00,000 जीवन भर के लिए मुआवजे के रूप में-लंबे दर्द और उसके और उसके परिवार द्वारा अंगूठी।

8. ऊपर दिया गया कुल मुआवजा नीचे दिया गया है:

दी गई राशि

क्षतिपूर्ति

(आईएनआर में)

i) भविष्य की आय का नुकसान

13,00,500

8,500

(ii) वास्तविक आय का नुकसान।

2,50,000

iii) चिकित्सा व्यय

90,000

iv) उपस्थिति और परिवहन शुल्क

80,000

v) विशेष आहार और पोषण

1,00,000

vi) भावी जीवन में सुविधाओं का नुकसान।

2,00,000

vii) दर्द और पीड़ा

20,29,000

कुल

) 15 एस. सी. सी. 45 अनंत पुत्र सिद्धेश्वर डुकरे बनाम। प्रताप झमनाप्पा लामज़ान और ए. एन. आर. [इन्दु माल्हो

अपीलार्थी कुल रुपये के भुगतान का हकदार है। 20,29,000 (रुपया बीस लाख उनतीस हजार

आई. डी. 1 पर एम. ए. सी. टी. के समक्ष किए गए भुगतान की तारीख से लेकर दोनों उत्तरदाता, जो संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी हैं, तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष के साधारण ब्याज के साथ इस निर्णय के बारह सप्ताह के भीतर अपीलार्थी को राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

9. तदनुसार सिविल अपील की अनुमति है, जिसमें कोई आदेश लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का तदनुसार निपटारा नहीं किया जाता है। कल्पना के. त्रिपाठी

ए.